भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2358

04.08.2025 को उत्तर के लिए

पराली जलाने पर रोक

2358. कुमारी सैलजा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या किसानों द्वारा जलाए जाने वाली पराली बढ़ते वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है या कोई अन्य कारण भी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली (एनसीआर) में वायु प्रदूषण कई कारकों का सामूहिक परिणाम है, जिसमें एनसीआर में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में मानवजनित कार्यकलापों का उच्च स्तर शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों से धूल, सड़क की धूल, बायोमास जलाना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि से उत्पन्न होता है। सर्दियों के महीनों के दौरान, कम तापमान, लो मिक्सिंग हाइट, तापमान व्युत्क्रम की परिस्थिति और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषक स्थिर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में उच्च प्रदूषण होता है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण कटाई के बाद पराली या बायोमास जलाना भी है। उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों और एनसीआर के अन्य इलाकों में धान की पराली जलाने की घटनाएँ चिंता का विषय हैं और विशेषकर अक्टूबर और नवंबर के दौरान एनसीआर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/उन्मूलन हेतु एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। यह रूपरेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी)

तथा विभिन्न हितधारकों, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ हुई चर्चा पर आधारित है। तदनुसार, एनसीआर राज्यों को इस रूपरेखा के प्रमुख तथ्यों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना में सहायता हेतु इस योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

- धान की पराली के बाह्य-स्थाने प्रबंधन में सहायता देने वाली योजनाओं/पहलों के एकीकरण हेतु दिसंबर, 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति, राज्य सरकारों के साथ इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं की प्रभावी निगरानी और रोकथाम के लिए नियमित बैठकें करती है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने धान की पराली के बाह्य-स्थाने प्रबंधन के लिए बायोमास एकत्रीकरण उपकरण की खरीद हेतु संपीड़ित बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टोरीफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

- सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोयले के साथ बायोमास आधारित पेलेट्स, टोरिफाइड पेलेट्स/ब्रिकेट्स (5-10% तक) को भी जलाएं।

- सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनसीआर से दायरे से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट/ब्रिकेट का उपयोग अनिवार्य करें, ताकि खुले में धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके।

- कृषि क्षेत्रों में धान के पुआल को जलाने से रोकने के लिए, मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि 690 (अ) दिनांक 06.11.2024 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 जारी किए हैं, ताकि पराली जलाने की घटनाओं के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सके।

सभी हितधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी देखी गई है। वर्ष 2021-24 के लिए 15 सितंबर से 30 नवंबर तक, फसल कटाई के मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में ऐसी घटनाओं की संख्या निम्नवत दी गई है।

राज्य	2021	2022	2023	2024
पंजाब	71304	49922	36663	10909
हरियाणा	6987	3661	2303	1406

उपरोक्त स्थिति से ज्ञात होता है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2024 में पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं में क्रमशः 84.70% और 79.87% की कमी आई है।

*****